

दिल्ली नगर कला आयोग

दिल्ली नगर कला आयोग का गठन 1 मई 1974 को, दिल्ली नगर कला आयोग अधिनियम 1973 के अंतर्गत दिल्ली में शहरी और पर्यावरणीय डिजाइन की सौन्दर्यपरक गुणवत्ता के संरक्षण, विकास और रखरखाव को देखते हुए दिल्ली में केन्द्रीय सरकार और स्थानीय निकायों के परामर्शी निकाय के रूप में गठित किया गया था ।

उद्देश्य

- पर्यावरण में ऐसे गुणों को प्रोत्साहित करना जो समुदाय का विकास करते हैं ।
- रहने और कार्य करने के स्थल के रूप में समुदाय की आकर्षता और परिचालन उपयोगिता को बढ़ाना
- अच्छे स्वरूप अथवा विशेष ऐतिहासिक, महत्ता के क्षेत्रों में संपूर्णता बनाकर अपने हैरिटेज के स्वरूप और गुणता का संरक्षण करना
- क्षेत्र में विशेष सार्वजनिक निवेशों को संरक्षित करना
- बेकार डिजाइन को रोकना और अच्छे डिजाइन को प्रोत्साहन देना ।
- पर्यावरण की गुणता के संदर्भ में सामुदायिक अपेक्षाओं के स्तरों को उठाना ।

संघटन

आयोग ने एक अध्यक्ष और दो से कम और चार से अधिक सदस्य जैसा केन्द्र सरकार निर्धारित करे, नहीं है । आयोग के सदस्य प्लास्टिक अथवा दृश्य कला अथवा वास्तु या कला के संबंध में विशेष जान के प्रति संवेदना और रुचि रखते हैं ।